रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 634] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 14, 2015/आश्विन 22, 1937
No. 634] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2015/ASVINA 22, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2015

सं. 19/2015-सेवा कर

सा.का.नि. **780(अ).—** जहां कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि 1 जुलाई, 2012 को और से प्रारंभ होने वाली और 13 अक्तूबर , 2014 को समाप्त होने वाली अवधि (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अवधि से संदर्भित किया गया है) में, ऐसी परंपरा, जो कि सामान्यत: प्रचलित थी, जिसके अनुसार भारत के बाहर से भारत को विदेशी मुद्रा भेजे जाने के मामले में, किसी भारतीय बैंक या किसी संस्था द्वारा धन अंतरण सेवा प्रचालकों (एतश्मिन पश्चात जिसे एमटीएसओ से संदर्भित किया गया है) के किसी अभिकर्ता के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवा पर, सेवाकर वसूला नहीं जाता था, (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त परंपरा से संदर्भित किया गया है) और इस सेवा पर सेवा कर वसूल किया जाना था, जिसको कि उक्त परपंरा के अनुसार वसूल नहीं किया जा रहा था।

अतः अब केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ग, जिसे वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 83 के अनुसार सेवाकर के इसी प्रकार के मामलों में प्रयोज्य बनाया गया है,के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार **,rn~}kjk** निर्देश देती है कि उक्त अवधि में भारत के बाहर से भारत को विदेशी मुद्रा के भेजे जाने के संबंध में, किसी भारतीय बैंक या किसी संस्था द्वारा एमटीएसओ को किसी अभिकर्ता के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर उक्त प्रथा के अनुसार, सेवा कर जो कि वित्त अधिनियम,1994 की धारा 66ख के अंतर्गत देय होता है, का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

[फा. सं. 137/51/2014 - सेवाकर]

हिमानी भयाना, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2015

NO. 19/2015-SERVICE TAX

G.S.R. 780(E).—Whereas, the Central Government is satisfied that in the period commencing on and from the 1st day of July, 2012 and ending with the 13th day of October, 2014 (hereinafter referred to as the said period) according to a practice that was generally prevalent, there was non–levy of service tax on the services provided by an Indian Bank or other entity acting as an agent to the Money Transfer Service Operators (hereinafter referred to as MTSO), in relation to remittance of foreign currency from outside India to India (hereinafter referred to as the said practice), and this service was liable to service tax, which was not being paid according to the said practice.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11C of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) as made applicable to like matters in Service Tax vide section 83 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby directs that the service tax payable under section 66B of the Finance Act, 1994, on the service provided by an Indian Bank or other entity acting as an agent to the MTSO in relation to remittance of foreign currency from outside India to India, in the said period, but for the said practice, shall not be required to be paid.

[F.No. 137/51/2014-Service Tax]

HIMANI BHAYANA, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.